संख्या–229 / 2026 / आई0 / 1482785 / 2026–5–6099 / 182 / 2026–6

प्रेषक,

रविरंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक : 01 अक्टूबर, 2026**

विषयः– प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–220 / 2026 / आई0 / 1456607 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6 दिनांक 09–09–2026 तथा शासनादेश संख्या–227 / 2026 / आई0 / 1469413 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6 दिनांक 18–09–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के निस्तारण की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त जनपदों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा दिनांक 21–09–2026 से दिनांक 25–09–2026 तक एवं दिनांक 28–09–2026 से 30–09–2026 तक 02 चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2– चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के निस्तारण की ऑनलाइन प्रक्रिया में अभी भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कुछ तकनीकी समस्यायें आ रही है जिसके निस्तारण हेतु समस्त जनपदों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों / सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा निम्न सारिणी के

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुसार दिनांक 05–10–2026 से दिनांक 09–10–2026 तक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगाः–

<u>विभिन्न विभागों के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) /स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर/लाभार्थियों (सेवारत /सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों) हेतु प्रशिक्षण</u>

क0 सं0	दिनांक	समय	मीटिंग लिंक	मीटिंग आई.डी. /पासकोड
1	05–10–2026	10.30 बजे से 12.30 तक	https://zoom.us/j/92657124967?pwd=axaG3TORAAdLBP2WsmhNQa9Jx8c2ac.1	92657124967 / 835392
2	06–10–2026	10.30 बजे से 12.30 तक	https://zoom.us/j/92657124967?pwd=axaG3TORAAdLBP2WsmhNQa9Jx8c2ac.1	92657124967 / 835392
3	07–10–2026	10.30 बजे से 12.30 तक	https://zoom.us/j/92657124967?pwd=axaG3TORAAdLBP2WsmhNQa9Jx8c2ac.1	92657124967 / 835392
4	08–10–2026	10.30 बजे से 12.30 तक	https://zoom.us/j/92657124967?pwd=axaG3TORAAdLBP2WsmhNQa9Jx8c2ac.1	92657124967 / 835392
5	09–10–2026	10.30 बजे से 12.30 तक	https://zoom.us/j/92657124967?pwd=axaG3TORAAdLBP2WsmhNQa9Jx8c2ac.1	92657124967 / 835392

3– उपरोक्त प्रशिक्षण के वीडियो **https://janhit.dgmhup.in/en/training.html** लिंक पर उपलब्ध रहेगें।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु सम्बन्धित को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
रविरंजन
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
4– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविरंजन
विशेष सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in